प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयुध नियमावली, 2016 के अध्याय–2 के नियम–15 में अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों के समेकन हेतु दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–2/2017/जन–305/छः–पु–5–2017–800(3)/2016 टी0सी0, गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई 2017 के अनुपालन में सभी शस्त्रों का विवरण एन0डी0ए0एल0 प्रणाली में प्रवृष्टि करके एक विशिष्ट पहचान संख्यांक प्रदान किया जाना है। बिना विशिष्ट पहचान संख्यांक के कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जायेगी। कोई विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी प्रारूप–3 में एक से अधिक अनुज्ञप्तियां रखता है तो वह 01 अप्रैल 2017 को या उससे पूर्व उसके द्वारा धारित सभी शस्त्रों के सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन किया जाना है। आवेदन प्राप्ति के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक के विद्यमान बाहुल्य अनुज्ञप्तियों को निरस्त करके उसके स्थान पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी को सभी विद्यमान अग्नायुधों का पृष्ठांकन करके नई अनुज्ञप्ति जारी किया जाना है।

अतः जनपद–बलरामपुर के ऐसे समस्त अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके पास दो या दो से अधिक अनुज्ञप्तियां है उन्हे इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे 01 अप्रैल 2017 को या उससे पूर्व उनके द्वारा धारित सभी अग्नायुधों के सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए 15 दिवस के भीतर कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर लाइसेंस बुक सहित आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही के पश्चात् उन्हे एकल अनुज्ञप्ति जारी किया जा सके।

जिला मजिस्ट्रेट,
बलरामपुर।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,बलरामपुर।

संख्या 411 /आयुध लिपिक(डाटा–इन्ट्री)/2017, दिनांकःजुलाई 20,2017

1 पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त थानाध्यक्षें को अपने–अपने थाना क्षेत्र के बाहुल्य अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2 समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जनपद–बलरामपुर।

3 समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस) जनपद–बलरामपुर।

4 जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को इस आशय से कि विज्ञप्ति जनपद में प्रसारित होने वाले समस्त समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

5 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बलरामपुर को इस आशय से कि वे अपने स्तर से प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

6 समस्त थानाध्यक्ष, जनपद बलरामपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट, 20/7/17
बलरामपुर।